राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0)
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
7/23, सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226010
e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 4938 / 241 / NULM / तीन / 2001(SUSV)-CSVP दिनांक 06/11/2018

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
   जिला नगरीय विकास अभिकरण,
   उ0प्र0।
2. समस्त नगर आयुक्त,
   नगर निगम,
   उ0प्र0।
3. समस्त अधिशासी अधिकारी,
   नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
   उ0प्र0।

विषयः–पथ विक्रेता (जीविका सरंक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुरुप नगर पथ विक्रय समिति (TVC) में पथ विक्रेताओं का प्रनिधित्व हेतु पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

चाही 06/11/2018

महोदया / महोदय,

कृपया शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियान्वयन का विनयम करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक नियमों के लिए भारत सरकार द्वारा पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 अधिसूचित किया गया है। प्रदेश द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन), नियमावली 2017, नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 के द्वारा दिनांक 10.05.2017 को अधिसूचित की गई है।

उपरोक्त के क्रम में पत्र के साथ संलग्न संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र–K-12017(30)/1/2017-UPA-II दिनांक 30.10.2018 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति (TVC) में पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन माध्यम से किये जाने एवं हटाये गये और पुर्नस्थापन किये जाने वाले शहरी पथ विक्रेताओं हेतु एक्ट में दिये गये प्राविधानों का पालन किया जाए।

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 की धारा 22 (2) (घ) के अनुसार ''पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एसे सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी जो स्वयं पथ विक्रेताओं द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचन किये जायेगे।''

उक्त अधिनियम को अंगीकृत करते हुए उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 के नियम–5 (1) (ड) के अनुसार ''पथ विक्रेताओं का संघ खण्ड (घ) के अधीन तद्निम्मत आवेदित सदस्यों में से आने सदस्यों को निर्वाचित कर सकता है और नगर पथ विक्रय समिति की सदस्यता के लिए संस्तुति कर सकता है।''

पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 अनुसार नगर पथ विक्रय समिति में पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधित्व हेतु पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन के माध्यम से किये जाने

हेतु आवश्यक कार्यवाही समयबद्व तरीके से की जाए। साथ ही साथ हटाये जा रहे एवं पुर्नस्थापित किये जा रहे पथ विक्रेताओं हेतु पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली 2017 में दिये गये प्रावधानों का अनिवार्य रुप से पालन कराने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नकः यथोपरि।

2-11-18

ह0/-
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास और नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव एवं निदेशक (DAY-NULM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समस्त निकायों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सहायक वेबमास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

2-11-18

ह0/-
(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक

SANJAY KUMAR, IAS
Joint Secretary
and Mission Director (DAY-NULM)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

सत्यमेव जयते

संजय कुमार, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव
एवं मिशन निदेशक (दी.अ.यो.–रा.श.आ.मि.)
भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

D.O. No. K-12017(30)/1/2017-UPA-II

Dated: 30th October, 2018

Dear Manoj Sir,

I am writing in the backdrop of a few representations, received by the Ministry of Housing and Urban Affairs, from some of the street vendors/hawkers associations, *inter-alia*, on the issue of constitution of the Town Vending Committees (TVC) and representation of street vendors thereon, in terms of Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014.

2. In this connection, I would like to draw your attention to the relevant provisions of the Act which are reproduced below:

- The appropriate Government may, by rules made in this behalf, provide for the term and the manner of constituting a Town Vending Committee in each local authority [Section 22 (1)];
- The number of members representing the street vendors shall not be less than forty percent, who shall be elected by the street vendors themselves in such manner as may be prescribed [Section 22 (2) (d)];
- As per Section 36, the Rules to be made may provide, inter-alia for:

  (i) the term of, and the manner of constituting, the Town Vending Committee under sub-section (1 of Section 20 [(Section 36 (2)];
  (ii) The manner of elections among street vendors under clause (d) of subsection (2) of section 22.

3. It is clear from the above, that the Act provides for constitution of the TVCs with the elected members of street vendors. As the Rules under Street Vendors Act, 2014 have been notified by your State, it is expected that the manner of election of street vendors' representatives for constitution of TVCs forms part of the same. If the Rules provide for constitution of TVC, in any manner other than election of street vendors, then these need to be amended to bring them in conformity with the provisions of the Act. However, till the completion of survey of street vendors and election of the representatives of street vendors, the state government may constitute provisional TVCs. The term of provisional TVCs should not be more than one year. To facilitate the States/UTs, however, it may be recalled that the Ministry had circulated model rules which laid down the manner of conducting the elections of street vendors for their representation on the TVC. The model Rules are also placed on the website of the Ministry.

Office: 112-C, Nirman Bhawan, New Delhi-110011, Phone: 011-23061665, Fax: 23061497
email : jsupa-mhupa@gov.in

4. In view of the above, it may kindly be ensured that the TVCs have been/ are being constituted in your state in accordance with the provisions of the Act, i.e. by way of elections. A confirmation on this may be given to the Ministry at the earliest.

5. One more related issue is the eviction and relocation of street vendors. For this purpose, there are specific provisions in the Act which need to be followed by the ULBs and police authorities so that the urban street vendors are not subject any harassment. I would request you to kindly instruct the ULBs to follow the provisions of the Act accordingly.

With regards,

Yours sincerely,

(Sanjay Kumar)

Shri Manoj Kumar Singh,
Principal Secretary,
Department of Urban Development Department,
824, Bapu Bhawan,
Lucknow-226001,Uttar Pradesh